B.Com. (HONS)
Pt - A/cs (H)
Paper - IV
(CORPORATE ACCOUNTING)

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.S.J. Collage.
RajNagar (Madhubani)

UNIT - III

TOPIC - ACCOUNTING FOR RECONSTRUCTION

जब किसी कंपनी की पूँजी संरचना अति-पूँजीकरण अवस्था में हो, या कंपनी ने भारी मात्रा में हानि उठायी हो और उसे अपलिखित करना हो, या संपत्तियों को आवश्यकता से अधिक मूल्य पर दिखाया गया हो, तब ऐसे सभी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए कंपनी की वित्तीय संरचना को पुनःसंगठित करने हेतु जो कदम उठायी जाती है, उसे पुनर्निर्माण (Reconstruction) कहा जाता है। इस प्रकार Reconstruction का अर्थ कंपनी के वित्तीय ढाँचे में परिवर्तन करके नया स्वरूप प्रदान करना होता है।

Reconstruction मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं :—

(1) आंतरिक पुनर्निर्माण (Internal Reconstruction)
(2) बाह्य पुनर्निर्माण (External Reconstruction)

(1) आंतरिक पुनर्निर्माण :— ऐसे पुनर्निर्माण जिसमें कंपनी का समापन किये बगैर उसके पूँजी ढाँचे में परिवर्तन करके नया स्वरूप प्रदान किया जाता है, उसे आंतरिक पुनर्निर्माण कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पूँजी में कमी या वृद्धि करके पूँजी संरचनाओं में परिवर्तन किया जाता है।

आंतरिक पुनर्निर्माण की विशेषता निम्नलिखित है :—

(i) विद्यमान कंपनी अपनी व्यवसाय को जारी रखते हुए वित्तीय ढांचा को बदलने का प्रयास करती है।

(ii) इसकी आवश्यकता तब होती है जब कंपनी निरंतर हानि के कारण समापन से बचाना चाहती है।

(iii) इसके अंतर्गत नयी कंपनी का निर्माण नहीं होता है।

(iv) इसके अंतर्गत कंपनी के अंश पूंजी में परिवर्तन किया जाता है। तथा

(v) यह एक वैधानिक प्रक्रिया होती है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में
Internal Reconstruction की आवश्यकता पड़ती है:—

(i) व्यापार में हानियाँ अधिक हो गयी हो तथा उसको अपलिखित करना आवश्यक हो।

(ii) जब बनावटी संपत्तियाँ जैसे— प्रारंभिक व्यय, अंशों के निर्गमन पर कटौती, ऋणपत्रों के निर्गमन पर कटौती आदि को अपलिखित करना हो।

(iii) जब नये निवेशकों के लिए आकर्षण पैदा करने हेतु अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता हो। तथा

(iv) जब संपत्तियों को पुस्तकों में उनके वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर दर्शाया गया हो।

(2) बाह्य पुनर्निर्माण :— जब कोई विद्यमान कंपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण लगातार कई वर्षों से होने वाली हानियों या अन्य कारणों से कंपनी का समापन कर नयी कंपनी का निर्माण करती है तो उसे बाह्य पुनर्निर्माण कहा जाता है। इसके अंतर्गत नयी कंपनी द्वारा विद्यमान कंपनी की लगभग सभी संपत्तियों एवं दायित्वों को अधिग्रहित कर लेती है। नयी कंपनी के अंशधारी लगभग वही होते हैं जो पुरानी कंपनी के थे।

Scanned with CamSc

बाह्य पुनर्निर्माण की विशेषताएं निम्नलिखित है:-

(i) विद्यमान का कंपनी का समापन होना।
(ii) नयी कंपनी की स्थापना होना।
(iii) भविष्य में होने वाली हानियों से सुरक्षा प्रदान करता है।
(iv) नयी स्थापित कंपनी के नाम में परिवर्तन होना।

बाह्य पुनर्निर्माण की आवश्यकता निम्नलिखित परिस्थितियों में होती है:-

(i) हानियों से भविष्य में बचने के लिए
(ii) पार्षद सीमानियम में उल्लेखित उद्देश्यों को बढ़ाने के उद्देश्य से।
(iii) पंजीकृत कार्यालय को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाने के लिए
(iv) कार्यशील पूँजी में वृद्धि करने के लिए।

Difference between Internal Reconstruction and External Reconstruction
अंतर

आधार	आंतरिक पुनर्निर्माण	बाह्य पुनर्निर्माण
1. समापन	इसमें कंपनी का समापन या निस्तारण नहीं होता है।	जबकि इस प्रक्रिया में विद्यमान कंपनी का समापन हो जाता है।
2. नयी कंपनी की स्थापना	इसके अंतर्गत नयी कंपनी की स्थापना नहीं होती है लेकिन अंशधारियों एवं लेनदारों के अधिकार परिवर्तित हो जाते हैं।	जबकि इसमें विद्यमान कंपनी के समापन के पश्चात् नयी कंपनी की स्थापना होती है।

Scanned with CamSc

आधार	आन्तरिक पुनर्निर्माण	बाह्य पुनर्निर्माण
3. अस्तित्व का समापन	इसके अनुसार विद्यमान कंपनी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है.	जबकि, इसमें विद्यमान कंपनी का अस्तित्व पूर्णतया समाप्त हो जाता है.
4. पूंजी की कमी	इस प्रक्रिया में पूंजी में कमी करना अनिवार्य होता है साथ ही साथ बाहरी दायित्वों को भी अपना दावा कम करना पड़ता है.	जबकि, इसमें पूंजी में कमी नहीं होती है बल्कि नई कंपनी की नई अंश पूंजी होती है.
5. अधिनियम से संबंध	यह प्रक्रिया कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 से संबंधित है.	जबकि यह कंपनी अधिनियम की धारा 232 से संबंधित है.

Scanned with CamSc